L. A. BILL No. VI OF 2023.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ६ सन् २०२३।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९५१ का २२।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

सन् १९५१ का २२ की धारा २ में संशोधन।

सन् १९५१ का २२।

२. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के, खण्ड (६) में,—

(क) " आयुक्त " चिन्ह और शब्दों के पश्चात् " विशेष आयुक्त " चिन्ह और शब्द निविष्ट किए जायेंगे और ४ जनवरी २०२३ से निविष्ट किए गए समझे जायेंगे ;

(शा.म.मु.) एचबी २६८६-१ (५०—२—२०२३)

(ख) " पुलिस आयुक्त " शब्दों के पश्चात्, " विशेष पुलिस आयुक्त " शब्द निविष्ट किए जायेंगे और ४ जनवरी २०२३ से निविष्ट किए गए समझे जायेंगे।

सन् १९५१ का २२ की धारा ७ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ७, के खण्ड (क) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा और ४ जनवरी २०२३ से निविष्ट किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

" (क-१) राज्य सरकार, बृहन्मुंबई के लिए विशेष पुलिस आयुक्त की नियुक्ति भी कर सकेगी। "।

सन् १९५१ का २२ की धारा २५ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २५ की, उप-धारा (२) के खण्ड (क) में " आयुक्त समेत " शब्दों के पश्चात्, " विशेष आयुक्त " शब्द निविष्ट किए जायेंगे और ४ जनवरी २०२३ से निविष्ट किए गए समझे जायेंगे।

५. उद्देशिका समेत पूर्णतया मूल अधिनियम में " ग्रेटर बॉम्बे " जहाँ कहीं वे आए हो, शब्दों के स्थान में, " बृहन्मुंबई " शब्द रखे जायेंगे।

व्यावृत्ति।

६. मूल अधिनियम के अधीन कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किसी आदेशों के अधीन उसपर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशेष आयुक्त द्वारा कृत या की गई कोई कार्यवाही, महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन) अधिनियम, २०२३ द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कृत, या यथास्थिति, की गई समझी जायेगी। सन् २०२३ का महा.।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (सन् १९५१ का २२) की धारा ७ बृहन्मुंबई के लिए या किन्ही अन्य क्षेत्रों के लिए पुलिस आयुक्त की और ऐसे किन्ही क्षेत्रों के लिए अप्पर पुलिस आयुक्त तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त की भी नियुक्ति करने के लिये उपबंध करती है।

२. कल्याणकारी राज्य के कर्तव्य और कृत्यों की उत्तरोत्तर बदलाव और विस्तारशील संकल्पना के साथ पुलिस दल की पारिणामिकता के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के विद्यमान उपबंधों में कतिपय बदलाव लाना यह आवश्यक बन गया है, जिससे की सरकार और साथ ही साथ पुलिस दल, अधिनियम के अधीन उनकी शक्तियों का प्रभावी प्रयोग करने तथा उनके कर्तव्यों का प्रभावी रूप से अनुपालन करने में समर्थ बन सके। इसलिए, बृहन्मुंबई के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष पुलिस आयुक्त का पद निर्माण किया गया है, देखिए दिनांकित ४ जनवरी २०२३ का सरकारी संकल्प, गृह विभाग, क्रमांक आईपीएस-२०२२/सी.आर. ४३७/ पीओएल-१। इस प्रयोजन के लिए, सरकार, अधिनियम में उक्त पद के निर्देश निविष्टि द्वारा कानूनी उपबंध करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. चूँकि ४ सितंबर १९९६ सन १९९६ का महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५ द्वारा " ग्रेटर मुंबई " का नाम " बृहन्मुंबई " के रूप में बदल दिया है, पूर्णतया उक्त अधिनियम में " ग्रेटर मुंबई " शब्द " बृहन्मुंबई " के रूप में रखने का अवसर भी मिल गया है। सरकार इसलिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २८ फरवरी, २०२३।

देवेंद्र फडणवीस,
उप-मुख्यमंत्री।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

सरकार के अप्पर मुख्य सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २८ फरवरी, २०२३।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई